

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग


क्रमांक : प.7(60)परि/नियम/मु0/06/पार्ट-II/ 33655 जयपुर, दिनांक : 19.04.2017

आदेश

भारत सरकार द्वारा राजकीय वाहनों पर लालबत्ती के उपयोग को प्रतिबन्धित करने के निर्णय की भावना के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषद के समस्त सदस्यगण व समस्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण के द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर लालबत्ती का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

विस्तृत आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।



(शैलेन्द्र अग्रवाल)

परिवहन आयुक्त
एवं प्रमुख शासन सचिव